न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-288/2011

विमलादेवी पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी जेरठी तहसील व जिला सीकर(राज0)

--अपीलान्ट---

---बनाम---

1- अशोककुमार तथा कथित दत्तक पुत्र छतुराम (जाति जाट निवासी ग्राम
2- भगोती पुत्र छतुराम पत्नी बजरंगलाल (जेरठी तहसील व जिला सीकर(राज0)
3-गीता पुत्री छतुराम
4-दल्लु पत्नी छतुराम (नाम हजफ)
5- उप पंजीयक सीकर ।
6- तहसीलदार सीकर ।

सत्यमेव जयते

--रेस्पोडेन्टस ---

Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 14-9-2011 द्वारा
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर।
---0---

उपस्थिति-

1- श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री बनवारीलाल बरवड एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट सं0-1

3- श्री राकेशकुमार एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट सं0-3

निर्णय दिनांक- 23.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा तथा रेकार्ड संशोधन का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0- 2 व 3 स्वर्गीय छतुराम के वंशज है । छतुराम के दो जायन्दा पुत्रीयां वादी सं0-2 व प्रतिवादी सं0-2 है । स्व0 छतुराम व प्रतिवादी संख्या-3 के कोई जायंदा

पुत्र न होने के कारण उन्होने वादी को बाल्यावस्था में ही गोद ले लिया था । जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 25-2-1989 को वादी के हक में विधिवत पंजीकृत करवा दिया । वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-2 की पैतृक आराजी ख0नं0 266 रकबा 0.07 हैक्टर, ख0नं0 267 रकबा 2.77 हैक्टर वाके ग्राम जेरठी तहसील सीकर में स्थित है जिसका पूर्व में खाता वादीगण के दादा भोजाराम पुत्र मानाराम का था । वादीगण के पिता छतुराम का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो गया था । भोजाराम के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का नामान्तरकरण सं0-866 दिनांक 5-3-2009 को बसाजिश प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादी सं0-1 का नाम जानबुझकर अंकित नहीं करवाया ।नामान्तरकरण एवं राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन की आड में प्रतिवादी सं0-2 व 3 ने दिनांक 18-5-2009 को वाद ग्रस्त भूमियों ख0नं0 266 व 267 कुल रकबा 2.84 हैक्टर में से 0.059 हैक्टर में से 2/3 हिस्सा का विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0-1 के हक में निष्पादित एवं पंजरकृत करवा दिया जो सर्वथा अवैध व शून्य है ।उक्त आराजी में छतुराम का मात्र रकबा 0.0591 हैक्टर रहा है। जिनमें से वादी एवं प्रतिवादी सं0-2 व 3 का समान हक हिस्सा है । शेष रकबा अन्य सह-खातेदारों का है । जिसका कोई विवाद नहीं । किन्तु प्रतिवादी सं0-1 प्रति वादी सं0-2 व 3 की मदद से वादीगण को उसके कब्जा काश्त से बेदखल कर आराजी का और अन्तरण करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है । दिनांक 27-5-2009 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर से बेदखल करने की धमकियां देने तथा विक्रय करने की कुचेष्टा से वादी को वाद कारण पैदा हुआ जिस पर यह दावा पेश किया गया ।अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजी के 1/4 हिस्से का वादी सं0-1 वादी सं0-2 व प्रकितवादी सं0- 2 व 3 प्रत्येक को 1/4, 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अदालत मातहत ने वादी का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत साक्ष्य, रेकार्ड, जबाब दावा का सही रूप से अवलोकन नहीं करके वास्तविक स्थिति को समझे बिना आदेश पारित कर कानूनी भूल की है ।अदालत मातहत के समक्ष मुख्य विवाद रेस्पो0 संख्या-1 अशोक कुमार का मृतक छतुराम का दत्तक पुत्र होने के सम्बन्ध में था । जिसने गोदनामा दिनांक 25-2-1989 का प्रस्तुत किया है । जो रेस्पो0 सं0-4 दलु द्वारा अशोककुमार को दत्तक लेना बताता तथा स्पष्ट रूप से मना भी किया है । गोदनामा से भी गोद पुत्र साबित नहीं है ।छतु की मृत्यु सन् 1980 के पूर्व हो गयी थी। जिसके कानूनी वारिश रेस्पोडेन्ट संख्या-2, 3 व 4 ही है जो नामान्तरकरण सं0-866 दिनांक 5-3-2009 से साबित है ।यह गलत था तो अपील में चुनौती देना चाहिये था । किन्तु नामान्तरकरण सं0 866 की कोई अपील पेश नहीं की ।विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या-4 की स्वअर्जित है । जिसको हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-14 के अनुसार एक विधवा को अपनी आराजी को वसीयत, दान, विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट को दिनांक 18-5-2009 को बैचान कर दिया और कब्जा करवा दिया। अपीलान्ट मौके पर काबिज है ।अदालत मातहत ने बिना राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये रेस्पोडेन्ट/वादी का दावा विधि विरूद्ध डिक्री किया है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को रेस्पोडेन्ट संख्या-4 के जीवनकाल में कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते और ना ही अशोक कुमार को दावा पेश करने का कोई हक अधिकार नहीं है । अदालत मातहत ने ने केवल मात्र स्कूल के प्रमाण पत्र पर ही दत्तक पुत्र मान लिया जिस को प्रदर्श मार्क भी नहीं किया है । अशोक कुमार का पिता बजरंगलाल चालाक किस्म का व्यक्ति है जो अपनी सास दलु की सम्पत्ति को हडपना चाहता है ।मतदाता सूची में भी आजतक बजरंगलाल अशोक कुमार दर्ज है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर श्रामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0- 2062 से 2065 में ख0नं0 266, 267 कुल किता-2 रकबा 2.84 हैक्टर पर नामान्तरकरण सं0-866 दिनांक 5-3-2009 से भोजा हि0 । की विरासत भागोती, गीता पुत्री छतू, दलु पत्नी स्व0 छतू हि0 रकबा 0.0591 हैक्टर, कुरडाराम पुत्र नारायण हि0 0.0592 हैक्टर, रिछपाल भगवाना कानाराम नेमीचन्द पि0 श्यामाराम रतनी पत्नी स्व0 श्यामाराम हि0 रकबा 0.0592 हैक्टर हिस्सा । स्वीकार हुआ ।नामा0 सं0-866 दिनांक 5-3-2009 में भोजा पुत्र माना के फोत होने पर भागोती गीता पुत्री छतु दलु पत्नी छतु हि0 0.0591 हैक्टर, कुरडाराम पुत्र नाराण हि0 0.592 हैक्टर, रिछपाल भगवाना कानाराम नेमीचन्द पि0 श्यामा राम, रतनी पत्नी श्यामाराम हि0 0.0592 हैक्टर का स्वीकार किया गया है ।विक्रय पत्र दिनांक 18-3-2009 में गीता, दलु ने ख0नं0 266, 267 कुल किता-2 रकबा 2.8400 हैक्टर भूमि में दर हिस्सा । आना भूमि में से रकबा 0.0591 हैक्टर भूमि में से विक्रेता गीता व दलु ने अपना 2/3 हिस्सा सम्पूर्ण बिमलादेवी पत्नी नरेन्द्रसिंह काजला को विक्रय किया है । गोदनामा दिनांक 25-2-89 में दलु पत्नी छतु ने अशोककुमार पुत्र बजरंग लाल को गोद लेना गोदनाम में तस्दीक किया है । पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन करने पर आया दिनांक 31-7-2009 को पत्रावली प्रतिवादी सं0-2 व 3 की तलबी में विचाराधीन रहीं। इनकी तलबी हुई अथवा नहीं प्रतिवादी सं0-2 , 3 अदालत मातहत में हाजिर हुये अथवा नहीं कोई अंकन नहीं। दिनांक 14-9-2011 को प्रतिवादी संख्या-1, 2 व 3 ने अपना जबाब दावा पेश किया । इसी दिन अदालत मातहत ने जबाब दावा लेकर अपना निर्णय पारित किया है ।वादीगण का दावा उद्घोषणा, स्थायी निषेध

दावे में दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयो का निर्धारण किया जाकर साक्ष्य सबूत लेकर प्रस्तुत दस्तावेजो को प्रदर्श मार्क करते हुये प्रत्येक तनकीवाईज निर्णय किया जाना चाहिये था। इसके समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट ने कानूनी नजीर आरएलडब्लू 2009(1)राज0 पेज-387, 888, आरआरटी 2009-10(एस0सी0) पेज-485, आरआरटी 2014(2) पेज-1157 व 1136 पेश की जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि दावा व जबाब दावा के आधार पर आदेश-14 नियम-3 सीपीसी के अनुसार तनकीयों का निर्धा--रण किया जावे तथा इसके बाद साक्ष्य सबूत लेकर आदेश-20 नियम-5 सीपीसी के अनुसार प्रत्येक तनकीवाईज निर्णय किया जाना चाहिये ।इनके विपरित रेस्पोडेन्ट ने कोई जबाब पेश नहीं किया बल्कि यही कहा कि जहां पर मैरिट प्रबल हो वहां पर आदेश-14 नियम-3 सीपीसी व आदेश 20 नियम-5 सीपीसी के अनुसार निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है । इस तर्क को हम उचित नहीं मानते । प्रस्तुत नजीरों में स्पष्ट किया गया है कि दावे में तनकीयों का निर्धारण कर तनकीवाईज निर्णय किया जाना ही उचित एवं विधिक है। इससे न्यायालय सहमत है । दूसरा बिन्दू अपीलान्ट ने विक्रय पत्र दिनांक 18-3-2009 से गीता व दलु का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा क्रय किया है। अपीलान्ट एक सद्भावी क्रेता है ।इस विक्रय पत्र को रेस्पोडेन्ट ने कहीं चैलेन्ज किया हो ऐसा भी कोई उज्र विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में नहीं बताया है ।अदालत मातहत ने अपने निर्णय में गोदनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट को छतु का भागोती, गीता व दलु के बा चौथे नम्बर पर वारिस मानकर उक्त आराजी में अशोक कुमार का नाम दर्ज करने का आदेश दिया है।इस सम्बन्ध में दावे का जबाब दावा पेश होने पर जब दावे का विरोध किया गया है तो कानूनन प्रस्तुत नजीरों के अनुसार तनकीयों का निर्धारण किया जाना चाहिये तथा बाद साक्ष्य सबूत आदेश 20 नियम-5 सीपीसी के अनुसार तनकीवाईज निर्णय किया जाना ।इस पर हम विद्वान वकील अपीलान्ट के कथनो से सन्तुष्ट है। तथा जिन दिन

जबाब दावा पेश किया गया उसी दिन दावे का निर्णय किया गया जो भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । इससे भी स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई समुचित अवसर नहीं दिया है । इस कारण हम अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(द्वितीय) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-9-2011 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण योग्य अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रतिवादीगण व वे वादीगण से साक्ष्य सबूत लेकर आदेश T-14 नियम-3 सीपीसी एवं आदेश T-20 नियम-5 सीपीसी की पालना करते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 28-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.7.2018 को सुनाया गया ।

23/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर